खास-खबरें

जनसुनवाई में नागरिकों की समस्याएं सुनीं अधिकारियों को निराकरण के निर्देश

नईदुनिया, प्रतिनिधि, रायसेनः कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में मंगलवार को नियमित जनसुनवाई आयोजित की गई। इसमें जिला पंचायत सीईओ कमल सोलंकी और अपर कलेक्टर मनोज उपाध्याय ने आमजन की समस्याएं सुनीं। अधिकारियों ने आवेदकों से उनकी समस्याओं के संबंध में सीधे संवाद कर संबंधित प्रकरणों की जानकारी ली। जनसुनवाई के दौरान प्राप्त आवेदनों पर संबंधित विभागों के अधिकारियों को आवश्यक कार्रवाई करते हुए समय-सीमा में निराकरण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। जनसुनवाई में विभिन्न विभागों से संबंधित समस्याओं को लेकर नागरिक पहुंचे। अधिकारियों ने आवेदकों की बात सुनकर संबंधित विभागों को प्रकरणों का परीक्षण कर नियमानुसार कार्रवाई करने के निर्देश दिए। इस दौरान डिप्टी कलेक्टर सहित विभिन्न विभागों के जिला अधिकारी उपस्थित रहे।

यूजीसी के इक्विटी विनियमों के विरोध में सर्व-समाज ने निकाला जुलूस

नईदुनिया, प्रतिनिधि, गंजबासौदाः विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) के 2026 के इक्विटी विनियमों को लेकर मंगलवार को गंजबासौदा में विभिन्न सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधियों ने प्रदर्शन किया। शीतला शक्ति धाम से शुरू हुआ जुलूस तहसील परिसर पहुंचा, जहां राष्ट्रपति के नाम एसडीएम अनुभा जैन को ज्ञापन सौंपा गया। प्रदर्शन में विभिन्न समाजों के प्रतिनिधि, युवा, सामाजिक कार्यकर्ता और महिलाएं शामिल हुईं। ज्ञापन का वाचन अमानसिंह राजपूत ने किया। प्रदर्शनकारियों ने विनियमों पर पुनर्विचार, व्यापक राष्ट्रीय विमर्श और सभी पक्षों से सुझाव व आपत्तियां आमंत्रित करने की मांग रखी। प्रदर्शन में ब्राह्मण दल, ब्राह्मण समाज, दांगी समाज, जैन समाज, सिंधी महापंचायत, अरोरा समाज, रघुवंशी समाज, अग्रवाल समाज, माहेश्वरी समाज, गुप्ता समाज, राजपूत समाज और विदिशा महाराणा प्रताप राजपूत विकास समिति सहित विभिन्न संगठनों के प्रतिनिधि शामिल हुए।

पीजी कॉलेज में अंबेडकर की तस्वीर हटाने का आरोप, एनएसयूआई ने किया प्रदर्शन

नईदुनिया, प्रतिनिधि, सीहोरः शासकीय पीजी कॉलेज में महापुरुषों की तस्वीरों को लेकर विवाद गहरा गया है। छात्र संगठन एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं ने कॉलेज परिसर और प्राचार्य कक्ष में पहुंचकर विरोध प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं का आरोप है कि प्राचार्य ने अपने कक्ष से डॉ. भीमराव अंबेडकर की तस्वीर हटा दी। इससे नाराज कार्यकर्ताओं और छात्रों ने महात्मा गांधी और डॉ. अंबेडकर की तस्वीरें हाथ में लेकर कॉलेज परिसर में प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के बाद एनएसयूआई कार्यकर्ताओं ने सीहोर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। इसमें मामले की निष्पक्ष जांच कराने और प्राचार्य को तुरंत निलंबित करने की मांग की गई है। छात्रों ने कहा कि अगर प्राचार्य कक्ष में महापुरुषों की तस्वीरें सम्मानपूर्वक नहीं लगाई गईं और जल्द कार्रवाई नहीं हुई, तो वे उग्र आंदोलन करेंगे।

पीडब्ल्यूडी की सड़क पर नपा कब तक पेचवर्क कराए जिम्मेदार ठेकेदार पर आखिर कार्रवाई क्यों नहीं

नपाध्यक्ष प्रिंस राठौर ने लोक निर्माण विभाग के कार्यपालन यंत्री को ज्ञापन सौंपकर अधिकारियों से सवाल पूछे

नईदुनिया प्रतिनिधि, सीहोरः मंडी क्षेत्र की जर्जर सडक़ को लेकर आम जनता में पनप रहे भारी आक्रोश और सोशल मीडिया पर 30 सितंबर को प्रस्तावित चक्काजाम के वायरल मैसेज के बाद नगर पालिका अध्यक्ष प्रिंस राठौर खुद मैदान में उतर आए हैं। मंडी क्षेत्र के नागरिकों की समस्याओं को प्राथमिकता पर रखते हुए नपाध्यक्ष सीधे लोक निर्माण विभाग के दफ्तर पहुंचे और अधिकारियों से सीधी बात की। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि मंडी की जनता परेशान हो रही है और पीडब्ल्यूडी की लापरवाही का खामियाजा आम नागरिकों को भुगतना पड़ रहा है।

नपाध्यक्ष प्रिंस राठौर ने लोक निर्माण विभाग के कार्यपालन यंत्री को ज्ञापन सौंपकर अधिकारियों से सवाल पूछे। उन्होंने कहा कि माता मंदिर से लेकर मंडी चौराहे और नरसिंहगढ़ नाका तक की सडक़ पूरी तरह बदहाल हो चुकी है। यह सडक़ पीडब्ल्यूडी के क्षेत्राधिकार में आती है, फिर भी जनहित को ध्यान में रखते हुए नगर पालिका

पहले ही साल दम तोड़ गई हाईटेक तकनीक

गौरतलब है कि करीब दो से ढाई वर्ष पूर्व लगभग 30 करोड़ रुपये की लागत से 24 किलोमीटर लंबी सीहोर-श्यामपुर सडक़ का निर्माण एमपीआरडीसी और पीडब्ल्यूडी के समन्वय से कराया गया था। इसमें प्रदेश की पहली फुल डेप्थ रिक्लेमेशन तकनीक का इस्तेमाल करते हुए दावा किया गया था कि यह सडक़ 10 साल तक नहीं उखड़ेगी, लेकिन पहली ही बारिश में सडक़ की गुणवत्ता की पोल खुल गई। पैचवर्क के रूप में की गई मरम्मत भी पूरी तरह उधड़ चुकी है और गिट्टियां बिखर रही हैं।

इस पर लगातार पेंचवर्क का काम करा रही है। उन्होंने सवाल उठाया कि जब सडक़ निर्माण के महज एक साल के भीतर ही पूरी तरह उखड़ गई तो विभाग अब तक संबंधित ठेकेदार को ब्लैकलिस्ट करने या उस पर कार्रवाई करने से क्यों कतरा रहा है।

30 सितंबर को चक्काजाम का मैसेज वायरलः बता दें मंडी क्षेत्र की मुख्य सडक़ के जानलेवा गड्ढों से परेशान होकर स्थानीय लोगों और वाहन चालकों में गहरा असंतोष व्याप्त है। सोशल मीडिया पर एक संदेश तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें 30 सितंबर को मंडी क्षेत्र में सडक़ की बदहाली के विरोध में उग्र प्रदर्शन और चक्काजाम करने की बात कही जा रही है। जनता के इस गुस्से और संभावित उग्र आंदोलन से पहले ही नपाध्यक्ष प्रिंस राठौर ने संवेदनशीलता दिखाते हुए मोर्चा संभाला और डब्ल्यूडी दफ्तर पहुंचकर अधिकारियों को तुरंत ठोस कदम उठाने की बात कही।

नेशनल हाईवे से जुड़ती है सडक़ः बता दें यह सडक़ न केवल सीहोर और श्यामपुर को जोड़ती है, बल्कि जयपुर-जबलपुर नेशनल हाईवे के माध्यम से ब्यावरा, नरसिंहगढ़, राजगढ़, गुना, ग्वालियर और राजस्थान तक सीधी आवाजाही का मुख्य जरिया है। रोजाना हजारों वाहन इस रास्ते से गुजरते हैं। गड्ढों के कारण आए दिन दोपहिया और चारपहिया वाहन चालक दुर्घटनाग्रस्त हो रहे हैं।

जनसुनवाई-कलेक्टर की पहल से ग्रामीणों की समस्याओं के समाधान की प्रक्रिया तेज

नईदुनिया प्रतिनिधि, विदिशाः कलेक्टर अंशुल गुप्ता ने जिला मुख्यालय पर संपन्न जनसुनवाई में प्राप्त विभिन्न शिकायतों एवं आवेदनों पर प्राथमिकता के आधार पर कार्रवाई करते हुए अनेक मामलों का मौके पर ही निराकरण कराया।

लटेरी तहसील के ग्राम कोलापुरा निवासी बाबूलाल प्रजापति ने अपनी पट्टे की भूमि पर कुछ व्यक्तियों द्वारा अवैध कब्जा किए जाने तथा सोयाबीन फसल काटने की धमकी दिए जाने की शिकायत की। आवेदक ने बताया कि वह न्यायालय से प्रकरण जीत चुके हैं और भूमि पर कब्जा बना हुआ है। कलेक्टर ने लटेरी एसडीएम से वर्चुअल माध्यम से चर्चा कर निर्देश दिए। इसी प्रकार सिरोंज तहसील के ग्राम वीरपुर निवासी फुल्ला धानक ने अपनी कृषि भूमि के बीच से सड़क निर्माण किए जाने की शिकायत दर्ज कराई। मामले को तत्काल संज्ञान में लेते हुए संबंधित अधिकारियों को कार्रवाई के निर्देश दिए गए, जिसके बाद समस्या के निराकरण की प्रक्रिया संपादित कराई गई।

ग्राम इमलिया निवासी पर्वतसिंह ने किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) से संबंधित समस्याओं एवं बैंक द्वारा परेशान किए जाने की शिकायत प्रस्तुत की। जॉच में पाया गया कि उनका केनरा बैंक में पुत्र के साथ संयुक्त खाता है तथा पुत्र का सिविल स्कोर संतोषजनक नहीं होने के कारण समस्या उत्पन्न हो रही है।

जनसुनवाई में डीजे, आवास और भूमि विवाद से जुड़े मामलों पर सुनवाई

नईदुनिया प्रतिनिधि, उज्जैनः कलेक्टर रौशन कुमार सिंह के मार्गदर्शन में मंगलवार को प्रशासनिक संकुल भवन के सभाकक्ष में अपर कलेक्टर शाश्वत शर्मा ने जनसुनवाई कर नागरिकों की समस्याएं सुनीं। गणगौर दरवाजा और सिद्धसेन मार्ग निवासी रविंद्र त्रिवेदी ने विवाह एवं अन्य कार्यक्रमों में निर्धारित ध्वनि सीमा से अधिक आवाज में डीजे और बैंड बजाने की शिकायत की। उन्होंने कहा कि तेज आवाज के कारण ध्वनि प्रदूषण के साथ बुजुर्गों और कमजोर हृदय वाले लोगों को परेशानी होती है। मामले में थाना प्रभारी खाराकुआं को जांच कर नियमानुसार कार्रवाई के निर्देश दिए गए। ग्राम कांवलीखेड़ा के ग्रामीणों ने पात्र होने के बावजूद आवासीय योजना में नाम शामिल नहीं होने की शिकायत की, जिस पर तहसीलदार तराना को आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए गए। झारड़ा निवासी बाबू खान ने आवासीय पट्टा दिलाने का आवेदन दिया, जिस पर तहसीलदार झारड़ा को प्रकरण के निराकरण के निर्देश दिए गए।

बड़नगर निवासी बाबूलाल ने कृषि भूमि के सीमांकन के बाद भी कब्जा नहीं हटाए जाने की शिकायत की। इस पर एसडीएम बड़नगर को जांच कर आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए गए। तराना निवासी भगवान सिंह ने कृषि भूमि तक पहुंचने वाले मुख्य मार्ग पर अतिक्रमण कर बाड़ लगाने की शिकायत की। उन्होंने बताया कि इससे कृषि कार्य प्रभावित होने के साथ फसल को भी नुकसान हो रहा है। मामले में तहसीलदार माकड़ौन को आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए गए। जनसुनवाई में आए अन्य आवेदनों पर भी संबंधित अधिकारियों ने प्रकरणों की जानकारी लेकर नियमानुसार कार्रवाई के निर्देश दिए। अपर कलेक्टर ने अधिकारियों को नागरिकों की समस्याओं का समय-सीमा में निराकरण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

कालिदास समारोह में विद्यार्थियों ने चित्रकला व श्लोक गायन में जीते पुरस्कार

गंजबासौदा। स्थानीय शासकीय उत्कृष्ट विद्यालय में विकासखंड स्तरीय कालिदास समारोह का आयोजन उत्साहपूर्ण एवं गरिमामय वातावरण में किया गया। समारोह में विकासखंड के विभिन्न विद्यालयों से विद्यार्थियों ने हिस्सा लेकर चित्रकला, श्लोक गायन सहित विभिन्न प्रतियोगिताओं में अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। प्रतियोगिताओं के माध्यम से विद्यार्थियों ने कला, साहित्य और संस्कृत भाषा के प्रति अपनी समझ एवं रचनात्मकता का परिचय दिया। चित्रकला प्रतियोगिता के वरिष्ठ वर्ग में नवांकुर विद्यालय गंजबासौदा की उपासना जाट ने प्रथम स्थान प्राप्त किया, जबकि कनिष्ठ वर्ग में डॉल्फिन स्कूल के हर्षित अंबेडकर प्रथम रहे। श्लोक गायन के वरिष्ठ वर्ग में सांदीपनि विद्यालय की कु. प्रकांशा राजपूत ने पहला स्थान हासिल किया। कनिष्ठ वर्ग में संत जगन्नाथ संस्कृत विद्यालय के नितिन पाठक प्रथम रहे। प्रतियोगिताओं में निर्णायक की भूमिका भूपेंद्र सेन, वंदना भार्गव, स्वप्नना डे और चंद्रम जायसवाल ने निभाई। उन्होंने निर्धारित मापदंडों के आधार पर विद्यार्थियों की प्रस्तुतियों का मूल्यांकन किया। कार्यक्रम में प्राचार्य एमसी शर्मा, प्रदीप चौरसिया, समीक्षा जैन, शिल्पाजना शर्मा, भारती पंथी, शिवा सिंह राजपूत, प्रशांत श्रीवास्तव सहित शिक्षक और विद्यार्थी उपस्थित रहे।

चुनाव आयोग की स्पष्टता के बाद कांग्रेस के आरोपों की वास्तविकता सामने आई : रचना मेवाड़ा

नईदुनिया प्रतिनिधि, सीहोरः विशेष गहन पुनरीक्षण को लेकर कांग्रेस एवं विपक्ष द्वारा फैलाए जा रहे भ्रम और भ्रामक प्रचार के संबंध में भारतीय जनता पार्टी, सीहोर जिला कार्यालय में पत्रकार वार्ता आयोजित की गई। पत्रकार वार्ता को जिला पंचायत अध्यक्ष रचना सुरेंद्र मेवाड़ा ने भाजपा मीडिया प्रभारी प्रितेश राठौर एवं भाजपा नेता सुरेंद्र मेवाड़ा के साथ संबोधित करते हुए विशेष गहन पुनरीक्षण से संबंधित तथ्यों और चुनाव आयोग द्वारा जारी स्पष्टीकरण की जानकारी पत्रकारों के समक्ष साझा की।

रचना मेवाड़ा ने कहा कि चुनाव आयोग द्वारा जारी संयुक्त वक्तव्य में स्पष्ट किया गया है कि विशेष गहन पुनरीक्षण सहित प्रमुख निर्णय चुनाव आयोग के सभी सदस्यों की सहमति से लिए गए हैं।

26 सितंबर को मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार तथा दोनों चुनाव आयुक्तों डॉ. एस.एस. संधू एवं डॉ. विवेक जोशी की बैठक के बाद जारी संयुक्त वक्तव्य में इस संबंध में स्पष्ट जानकारी दी गई है। उन्होंने कहा कि कैबिनेट सचिव को भेजे गए पत्र को लेकर भी भ्रम फैलाया गया, जबकि चुनाव आयोग के स्पष्टीकरण के अनुसार यह पत्र किसी नीतिगत विषय अथवा विशेष गहन पुनरीक्षण से संबंधित नहीं था। यह प्रतिनियुक्ति पर आए एक अधिकारी की प्रशासनिक

कार्यप्रणाली से संबंधित आंतरिक मामला था। रचना सुरेंद्र मेवाड़ा ने कहा कि प्रपत्र-6 को लेकर भी जनता के बीच भ्रम उत्पन्न करने का प्रयास किया गया। चुनाव आयोग के अनुसार विशेष गहन पुनरीक्षण के अंतर्गत प्रपत्र-6 के साथ संलग्न घोषणा-पत्र को सर्वोच्च न्यायालय द्वारा वैध ठहराया गया है। वहीं, विशेष गहन पुनरीक्षण की अवधि के बाहर पूर्व निर्धारित नियम एवं प्रपत्र ही लागू हैं।

उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग द्वारा प्रत्येक पात्र मतदाता की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न स्तरों पर प्रयास किए जा रहे हैं। विशेष शिविरों के आयोजन के साथ-साथ छूटे हुए लोगों के घर जाकर बूथ स्तर के अधिकारियों द्वारा प्रपत्र एकत्र करने की व्यवस्था भी की जा रही है। रचना सुरेंद्र मेवाड़ा ने कहा कि लोकतांत्रिक एवं संवैधानिक संस्थाओं के संबंध में आरोप लगाने के बजाय सभी राजनीतिक दलों को तथ्यों और आधिकारिक स्पष्टीकरण का सम्मान करना चाहिए। चुनाव आयोग के स्पष्ट वक्तव्य के बाद विशेष गहन पुनरीक्षण को लेकर फैलाए जा रहे भ्रम की वास्तविकता जनता के सामने स्पष्ट हो गई है।

उन्होंने कहा कि कांग्रेस और विपक्ष द्वारा पूर्व में भी इलेक्ट्रॉनिक मतदान मशीन तथा चुनाव आयोग सहित संवैधानिक संस्थाओं की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए जाते रहे हैं। पत्रकार वार्ता में इन विषयों से जुड़े विभिन्न उदाहरणों का भी उल्लेख किया गया। इस अवसर पर भाजपा जिला मीडिया प्रभारी प्रितेश राठौर, भाजपा नेता सुरेंद्र मेवाड़ा उपस्थित रहे।

मेट्रिमोनियल प्लेटफॉर्म पर साढ़े सात लाख की ठगी, छह आरोपी गिरफ्तार

नईदुनिया प्रतिनिधि, मंदसौरः जिले में मेट्रीमोनियल प्लेटफॉर्म पर प्रोफाइल अपलोड करने वाली शामगढ़ निवासी एक महिला को झांसे में लेकर साढ़े सात लाख रुपये की ठगी करने वाले अंतरराज्यीय साइबर गिरोह के छह सदस्यों को मंदसौर पुलिस ने अलग-अलग राज्यों से गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपितों के कब्जे से 22 एंड्रॉयड मोबाइल फोन, 30 मोबाइल सिम और पांच एटीएम कार्ड बरामद किए हैं। इसके अलावा विभिन्न बैंक खातों में जमा आठ लाख रुपये से अधिक की राशि को फ्रीज कराया गया है।

पुलिस के अनुसार, शामगढ़ निवासी पीड़िता ने मेट्रीमोनियल प्लेटफॉर्म पर अपनी प्रोफाइल अपलोड की थी। इसी दौरान वह साइबर ठगों के संपर्क में आई और उनके झांसे में आकर साढ़े सात लाख रुपये गंवा बैठी। ठगी का पता चलने के बाद पीड़िता ने मंदसौर पुलिस

अधीक्षक विनोद कुमार मीना के समक्ष शिकायत दर्ज कराई।

मामले को गंभीरता से लेते हुए पुलिस अधीक्षक ने गिरोह की पहचान करने और आरोपियों तक पहुंचने के लिए विशेष टीम गठित की। उप निरीक्षक कपिल सोराष्ट्री और उप निरीक्षक शैलेन्द्र सिंह कनेश के नेतृत्व में पुलिस टीम ने लगातार प्रयास करते हुए आरोपियों के संबंध में सुराग जुटाए।

जयपुर में दबिश, बिहार से भी आरोपी पकड़ाः पुलिस टीम ने प्राप्त सुरागों के आधार पर राजस्थान के जयपुर में दबिश देकर आरोपितों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की। आरोपितों से पूछताछ और विवेचना के दौरान सामने आए तथ्यों के आधार पर गिरोह के एक अन्य सदस्य को बिहार के अरवल जिले से भी अभिरक्षा में लिया गया।

पुलिस ने मामले में त्रिलोकी कुमार (26), निवासी भेलाही, थाना भेलाही, जिला पूर्वी चंपारण, बिहार; शिवम गुप्ता (25), निवासी भेलाही; बबलू कुशवाह (25), निवासी भेलाही; गुंजन गुप्ता (29), निवासी भेलाही; शशि कुमार (24), निवासी भेलाही और टोनी कुमार (34), निवासी छपिया गोपालगंज, बिहार को गिरफ्तार किया है।

पुलिस ने आरोपितों के कब्जे से 22 एंड्रॉयड मोबाइल फोन, अलग-अलग व्यक्तियों के नाम पर पंजीकृत 30 मोबाइल सिम और पांच एटीएम कार्ड बरामद किए हैं।

कार्यालय, राज्य वित्त आयोग मंत्रालय, वल्लभ भवन भोपाल (म.प्र.)

क्रमांक 311:-रा.वि.आ/ 2026 भोपाल, दिनांक 28/09/2026

अध्यक्ष, राज्य वित्त आयोग के विशेष सहायक/ सलाहकार हेतु विज्ञप्ति

मध्यप्रदेश शासन वित्त विभाग में संवैधानिक व्यवस्था के अनुसार गठित राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष, के निजी स्थापना में 01 विशेष सहायक/सलाहकार के प्रतिनियुक्ति/संविदा के पद स्वीकृत है। इस पद पर योग्य व्यक्ति की नियुक्ति करने की आवश्यकता है।

इच्छुक उम्मीदवार, पात्रता निर्धारण की शर्तें एवं भरे जाने वाले आवेदन प्रपत्र को राज्य वित्त आयोग के आधिकारिक बेवसाईट Http://sfc.mp.gov.in/ से डाउनलोड कर सकते है। सम्पूर्ण रूप से भरे हुये आवेदन पत्र को दिनांक 13.10.2026 को अपराह्न 3:00 बजे तक या उसके पहले तक मंत्रालय (VB-1) स्थित राज्य वित्त आयोग के कार्यालय के कक्ष क्र. 302-C, मंत्रालय भोपाल में रजिस्टर्ड डाक/व्यक्तिगत रूप से जमा किये जा सकते हैं।

राज्य वित्त आयोग उपरोक्तानुसार प्राप्त होने वाले आवेदनों को बिना कारण स्वीकार या अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित रखते है।

सदस्य सचिव,
राज्य वित्त आयोग, मंत्रालय, भोपाल,

जी-19194/26

न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) आर.एम. लोढा समिति (पी.ए.सी.एल. लि. के मामले में)

सार्वजनिक सूचना

मध्य प्रदेश टीकमगढ़, भोपाल, निवाडी, कर्नाटक बेगलुरु ग्रामीण में स्थित पी.ए.सी.एल. लि. की संपत्तियों की ई-नीलामी

1. भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा सुब्रत भट्टाचार्य बनाम भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) के मामले (सिविल अपील सं. 13301/2015) में तथा दूसरे संबंधित मामलों में, 2 फरवरी 2016 को पारित किए गए आदेश के तहत, पी.ए.सी.एल. लि. द्वारा खरीदी गई संपत्तियों की बिक्री करने के लिए, न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) आर. एम. लोढा की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया था,ताकि बिक्री से मिलने वाले पैसों (सेल प्रोसीड्स) से निवेशकों को भुगतान किया जा सके। उपरोक्त मामले में भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित किए गए आदेश दिनांक 8 अगस्त, 2024 के अनुसार, इस समिति ने मध्य प्रदेश टीकमगढ़, भोपाल, निवाड़ी, कर्नाटक -बेंगलुरु-ग्रामीण में स्थित पी.ए.सी.एल. लि की संपत्तियों की ई-नीलामी शुरू करने का निर्णय लिया है और तदनुसार 'प्रस्ताव हेतु निवेदन' (आरएफपी) जारी किये है, जो इन लिंकों के अंतर्गत उपलब्ध है।
   https://www.sebi.gov.in/notice-for-eoi-proposals.html and https://www.bankeauctions.com.
2. उपरोक्त संपत्तियों से संबंधित दस्तावेज इन लिंकों के अंतर्गत जाकर देखे जा सकते हैं:
   https://www.sebi.gov.in/notice-for-eoi-proposals.html and https://www.bankeauctions.com.
3. ई-नीलामी में भाग लेने से संबंधित ब्यौरे आरएफपी में दिए हुए हैं। आरएफपी से संबंधित मुख्य मुख्य तारीखें इस प्रकार हैं:-

आरएफपी के प्रकाशन की तारीख	30 सितंबर, 2026
बोलियाँ इस तारीख से प्रस्तुत की जा सकती हैं	30 सितंबर, 2026
बोली प्रस्तुत करने की अंतिम तारीख और समय	02 नवंबर, 2026 (17:00 बजे)
इस तारीख से ई-नीलामी शुरू होगी	20 नवंबर, 2026 (11:00 बजे)

संबंधित शर्तें:

- इन संपत्तियों की बिक्री 'जहाँ है, जैसा है और जो भी है' के आधार पर की जाएगी और यदि इन संपत्तियों को लेकर कोई दावा किया जाता है या उन पर कोई देनदारी बकाया हो और/या उन पर कोई ऋणभार (इन्कम्ब्रेस) हो, तो उसकी जिम्मेदारी खरीदार की होगी।
- इस नोटिस में और इस निविदा संबंधी दस्तावेज के तहत जारी किए गए आरएफपी में संपत्तियों के जो ब्यौरे दिए गए हैं वे उसी प्रकार हैं जैसा विक्रेता को उपलब्ध कराया गया है और यदि किसी कारण से इन ब्यौरों में कोई भी बदलाव होता है, तो इसकी जिम्मेदारी न तो विक्रेता की होगी और और न ही एजेंसी की।
- यदि संपत्तियों / उनसे संबंधित हक विलेख (टाइटल डीड) में कुछ भी गड़बड़ी पाई जाती है, तो उसके लिए समिति किसी भी सूरत में जिम्मेदार नहीं होगी और बोली लगाने वालों से यह निवेदन है कि वे संपत्तियों से संबंधित हक विलेख (टाइटल डीड) की अच्छी तरह से छानबीन करने के बाद ही अपनी बोलीयाँ प्रस्तुत करें।

CBC15204/11/0108/2627

राष्ट्रीय पोषण माह के तहत जमगढ़ आंगनबाड़ी केंद्र में जागरूकता कार्यक्रम

नईदुनिया प्रतिनिधि, बरेलीः महिला एवं बाल विकास विभाग के तत्वावधान में 9वें राष्ट्रीय पोषण माह के अंतर्गत जमगढ़ आंगनबाड़ी केंद्र में पोषण जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम महिला एवं बाल विकास अधिकारी जुलेखा खान और सेक्टर सुपरवाइजर प्रियंका रघुवंशी के निर्देशन में हुआ। इसमें छह माह से छह वर्ष तक की आयु के बच्चों और महिलाओं ने भाग लिया। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने बच्चों के बेहतर स्वास्थ्य, संतुलित आहार, स्वच्छता और नियमित स्वास्थ्य देखभाल के संबंध में जानकारी दी। बच्चों के शारीरिक एवं मानसिक विकास के लिए पोषणयुक्त आहार की आवश्यकता के बारे में भी बताया गया।

आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सुनीता शर्मा ने कहा कि पौष्टिक आहार के लिए महंगे खाद्य पदार्थ आवश्यक

नहीं हैं। घर में उपलब्ध अनाज, दाल, हरी सब्जियां और मौसमी फलों सहित अन्य खाद्य सामग्री से बच्चों और महिलाओं के लिए पौष्टिक व्यंजन तैयार किए जा सकते हैं। उन्होंने महिलाओं को घरेलू सामग्री से विभिन्न पौष्टिक व्यंजन बनाने की विधि और उनके पोषण संबंधी महत्व की जानकारी दी। माताओं को छह माह की आयु के बाद बच्चों को उम्र के अनुसार पूरक आहार देने, भोजन में विविधता रखने और स्वच्छता का विशेष ध्यान रखने के लिए जागरूक किया गया। गर्भावस्था और बच्चों के शुरुआती वर्षों में संतुलित आहार के महत्व की जानकारी भी दी गई। महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा राष्ट्रीय पोषण माह के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में ऐसे कार्यक्रम आयोजित कर कुपोषण की रोकथाम और स्वस्थ बचपन के लिए लोगों को जागरूक किया जा रहा है।

कार्यालय पुलिस उपायुक्त,नगरीय पुलिस जिला भोपाल

क्रमांक/पु.उपा./मुख्या/न.पु./भो/ रनि/निविदा/575/26 दिनांक:-25/09/2026

पुन: ई-निविदा सूचना

'मध्यप्रदेश भण्डार क्रय नियम तथा सेवा उपार्जन नियम 2015 यथा संसोधित 2022' के नियमानुसार इस कार्यालय द्वारा रक्षित केन्द्र नेहरू नगर नगरीय पुलिस भोपाल में शारदीय नव रात्रि के दौरान गरबा महोत्सव 2026 का आयोजन के लिए ई-निविदा आमंत्रित की जाती है :-

क्र.	सामग्री का विवरण	निविदा शुल्क	अनुमानित व्यय राशि (जीएसटी सहित)	ईएमडी
1	रक्षित केन्द्र नेहरू नगर नगरीय पुलिस भोपाल में शारदीय नव रात्रि के दौरान गरबा महोत्सव 2026 का आयोजन	5,000/-	25,00,000/-	75,000/-

1. निविदा पुलिस उपायुक्त, (मुख्यालय) नगरीय पुलिस भोपाल म.प्र. के नाम से बेवसाईट www.mptenders.gov.in पर ऑन लाईन जमा की जावेगी ।
2 निविदा शुल्क ऑनलाईन जमा करना अनिवार्य है। ईएमडी में पात्रतानुसार छूट प्राप्त की जा सकेगी।
3 म.प्र. पुलिस की वेबसाइट www.mppolice.gov.in एवं www.mptenders.gov.in से निविदा प्रपत्र एवं विस्तृत जानकारी डाउनलोड की जा सकती है। साथ ही निविदा के संबंध में रक्षित निरीक्षक कार्यालय, पुराना कंट्रोल रूम से विस्तृत जानकारी प्राप्त की जा सकती है।

शेड्यूल-

निविदा पब्लिकेशन दिनांक	दिनांक 25/09/2026 के 18.00 बजे
निविदा डाउनलोड करने की दिनांक	दिनांक 25/09/2026 के 18.00 बजे से
प्रिबिड मीटिंग का दिनांक	दिनांक 30/09/2026 के 12.00 बजे
निविदा जमा करने की अंतिम दिनांक	दिनांक 09/10/ 2026 के 17.00 बजे तक
निविदा खोलने की दिनांक	दिनांक 10/10/ 2026 के 17.00 बजे
प्रिबिड मीटिंग एवं निविदा खोले जाने का स्थान	पुराना पुलिस कंट्रोल रूम भोपाल

पुलिस उपायुक्त,
(मुख्यालय) नगरीय पुलिस,भोपाल

जी-19192/26